CGRG010018792026

न्यायालय– अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) रायगढ़ (छ०ग०) द्वारा (जमानत प्रकरण क्रमांक–756/2026 प्रकाश वगैरह विरूद्ध छ०ग० राज्य से संबंधित) महिला थाना, जिला–रायगढ के अपराध क्रमांक–68/2026 अंतर्गत धारा–85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता में दिनांक 05.08.2026 को पारित आदेश की प्रतिलिपि –

आवेदकगण/अभियुक्तगण	1. प्रकाश मन्नवर आ० मनीलाल मन्नवर,, उम्र–56 वर्ष 2. गीता मन्नवर पति प्रकाश मन्नवर, उम्र–50 वर्ष, 3. खुशी मन्नवर पिता प्रकाश मन्नवर उम्र–25 वर्ष, सभी निवासी 11–20 दसनापुर आदिलाबाद (तेलंगाना) (केस डायरी अनुसार आवेदकगण/आरोपीगण प्रकाश मनवर, गीता मनवर एवं खुशी मनवर)
अनावेदक/अभियोजन	छ०ग० शासन द्वारा महिला थाना, जिला–रायगढ (छ.ग.)
जमानत आवेदन अंतर्गत	धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
आरक्षी केन्द्र	महिला थाना
अपराध क्रमाँक	68/2026
धारा	धारा–85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता
जमानत आदेश दिनांक	05.08.2026

BAIL PETITION/756/2026
CGRG010018792026

05.08.2026 पीठासीन अधिकारी श्रीमान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ टी सी रायगढ़ जिला रायगढ़ के अवकाश पर रहने से कार्य विभाजन आदेशानुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश किया गया ।

आवेदकगण/ अभियुक्तगण प्रकाश मन्नवर, गीता मनव्वर, खुशी मन्नवर की ओर से श्रीमती सविता मेहर अधिवक्ता।

शासन की ओर से श्रीमती आरती सेवक जायसवाल, अपर लोक अभियोजक ।

प्रकरण केस डायरी की प्रतीक्षा एवं आवेदन पर तर्क हेतु नियत है ।

महिला थाना जिला रायगढ़ की ओर से अपराध से संबंधित केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त ।

इस आदेश द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत इस आशय का जमानत आवेदन पेश किया कि आवेदकगण अपने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा मध्य परिवार के सदस्य होने के साथ–साथ अपने जीवन यापन हेतु स्वयं का लघु व्यवसाय कर जीवन यापन करते है तथा आवेदिका क्रमांक–03 खुशी मन्नवर का विवाह हो चुका है तथा अपने ससुराल में लगभग एक वर्षों से निवासरत है। प्रार्थीया भाविशा पटेल के द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत किया गया है जिस पर महिला थाना के द्वारा अपराध

क्रमांक–68/2026 धारा–85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता का मामला पंजीबद्ध किया गया है जिसमें आवेदकगण को गिरफतार करने की पूर्ण संभावना है । आवेदकगण निर्दोष है उनके द्वारा प्रार्थीया के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी घटना कारित नहीं किया गया है । यदि उन्हें गिरफतार किया जाता है तो उसके मान प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है । आवेदकगण का पूर्व में कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है न ही समाज में उनके द्वारा कभी भी अनैतिक व्यवहार नहीं किया गया है । आवेदकगण आवेदन में दर्शित पते के स्थायी निवासी है जहाँ उनके परिवार के चल एवं अचल संपत्ति स्थित है जिससे उसके अन्यत्र पलायन होने की संभावना नहीं है । आवेदकगण अग्रिम जमानत पर रिहा होना चाहते है एवं आदेशित एवं निर्देशित समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है । अतः आवेदकगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के आवेदन के समर्थन में स्वयं का पृथक–पृथक शपथपत्र प्रस्तुत कर यह उल्लेखित किया है कि यह **उनका प्रथम जमानत आवेदन** पत्र अंतर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त इस न्यायालय के समक्ष अथवा माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष जमानत हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र निराकृत एवं लंबित नहीं है ।

उभयपक्ष का उक्त आवेदन पर तर्क सुना गया ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के तथ्यों की अपने तर्क में पुनरावृत्ति की है तथा शासन की ओर

से अपर लोक अभियोजक ने कारित अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन को निरस्त किये जाने का कथन किया है ।

केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थीया के द्वारा महिला थाना में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराया कि उसका विवाह आदिलाबाद तेलंगाना निवासी मयूर मनवर के साथ सामाजिक रीति रिवाज से दिनांक 11.03.2023 को सम्पन्न हुआ था, विवाह के समय उसके माता पिता एवं परिजन अपने हैसियत से बढ़कर स्त्रीधन दिये थे, विवाह के बाद उसके माता–पिता भाई बहन एवं सभी रिश्तेदार वापस रायगढ़ आ गये एवं वह अपने ससुराल आदिलाबाद में थी दूसरे दिन उसकी सास गीता मनवर बोली कि तुम्हारा गहना जेवर को वह संभाल कर सुरक्षित अपने पास रख लेती हूं कहकर मांग ली । विवाह में उसके मायके से 02 नग सोने का हार सेट, 02 नग चेन, 01 ब्रेसलेट, 02 नग अंगूठी, 01 लॉकेट, चांदी का पायल एक जोड़ी तथा ससुराल पक्ष से मिला जेवर सोने का हार 02 नग, 02 नग कंगन, सोने का हाथ छल्ला एवं ब्रेसलेट, चांदी का पायल, बिछिया जिसकी कीमती पांच लाख रूपये को अपनी सास को रखने के लिए दी । विवाह के बाद पगफेरा के लिए रायगढ़ आने से पहले वह अपनी सास से अपने दिये गहने जेवर को पहनने के लिए मांगने पर उसकी सास मना कर दी । दिनांक 20.04.2023 को वह अपने पति के साथ पगफेरा के लिए रायगढ़ आ गयी एवं तीन दिन बाद आदिलाबाद के लिए जाते समय उसके पिता द्वारा उसके पति को गिफ्ट

देने पर उसके पति ने लेने से इन्कार कर दिया और आदिलाबाद पहुंचने तक उससे बात करना बंद कर दिये । उसकी सास के द्वारा बोला गया था कि उनके घर में पगफेरा के लिए लड़का जाता है तो उसे एक लाख रूपये नगद दिया जाता है इसी बात को लेकर उसके पति नाराज हो गये थे । दिनांक 26.04.2023 को उसके पति उसे पगफेरा का एक लाख रूपये चाहिए बोले, इसी बात को उसके सास, ससुर एवं ननद बोले कि तुम्हारे मायके वाले हमलोगों का अपमान किये है एक लाख रूपये लाकर देना ही पड़ेगा । उसके पति शराब सेवन कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था एवं मायके जाने से मना कर दिये, फोन से बात करने से मना करते थे, दहेज में सामान ज्यादा नहीं लाई हो कहकर गाली गलौच कर प्रताडित करने लगे। गर्भवती होने के बाद भी उसे खाने के लिए नहीं देते थे । दिनांक 01.01.2024 को उसके पुत्र होने के बाद उसके सास, ससुर, पति, ननद प्रापर्टी के संबंध में गुजरात चले गये तो उसकी मां दिनांक 04.01.2024 को आदिलाबाद आयी और उसकी एवं उसके बच्चे की देखभाल की। जब उसके ससुराल वाले गुजरात से वापस आये तो उसकी मां को ताना मार कर कहने लगे कि बच्चा उनके घर में होता तो उसका खर्चा कैसे उठाते, तुम लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है । दिनांक 29.01.2024 को उसकी मां रायगढ़ वापस आ गयी । उसकी मां के घर आने के बाद उसके पति, सास, ससुर और ननद उसे घर से बाहर जाने नहीं देते थे और बच्चे को उससे दूर रखते थे, दूध पिलाने नहीं देते थे, उसके गहने जेवर को उसकी सास और ननद पहनकर घूमते थे, उसके द्वारा ननद को मना करने पर उसकी ननद गाली गलौच कर गला दबाते हुए मारपीट की । उसके पति,

सास, ससुर सभी दहेज में पांच लाख रूपये और पगफेरा का एक लाख रूपये लेकर नहीं आओगी तो वे लोग अपने साथ नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे कहा तब वह दिनांक 19.09.2025 को अपने भाई को बुलाकर रायगढ़ आ गयी । रायगढ़ आने के बाद पता चला कि उसके पति उसकी छोटी बहन को मैसेज करके परेशान करता था, दिनांक 19.09.2025 से वह अपने मायके में रह रही है। वह अपने पति के साथ रहना चाहती है इसलिए परामर्श हेतु परिवार सलाह केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 10.06.2026 व 07.07.2026 को काउंसलिंग हुआ था काउंसलिंग के दौरान उसके पति के द्वारा बोला गया कि उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते है एवं उसके पुत्र को अपने साथ रखना चाहते है । प्रार्थीया के उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध महिला थाना रायगढ़ में अपराध क्रमांक 68/2026 अंतर्गत धारा– 85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज कर विवेचना की कार्यवाही की गई । वर्तमान में विवेचना प्रकरण अपूर्ण है ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अपने अग्रिम जमानत आवेदन तथा तर्क के दौरान यह भी बताया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उनके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है । अतः उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है ।

केस डायरी का अवलोकन किया गया । केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया दर्शित होता है कि प्रार्थीया की रिपोर्ट पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध महिला थाना में अपराध क्रमांक–

68/2026 धारा–85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है । आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा विचारणीय है। केस डायरी में संलग्न प्रतिवेदन में अभियुक्तगण को थाना उपस्थित होने के लिए धारा–35(3) बी एन एस एस का नोटिस जारी किया जाना एवं अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अर्नेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य एवं अन्य क्रिमिनल अपील नंबर 1277/2014 निर्णय दिनांक 02.07.2014 में दिये गये निर्देश के परिपालन में धारा 35(1)(ख)(ii) बी एन एस एस के तहत कार्यवाही किया जाना उल्लेखित है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए विचारोपरांत आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत **धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकाश मनवर, गीता मनवर एवं खुशी मनवर को महिला थाना रायगढ,जिला–रायगढ के अपराध क्रमांक–68/2026 अंतर्गत धारा–85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराध में गिरफतार किये जाने की दशा में आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकाश मनवर, गीता मनवर एवं खुशी मनवर को गिरफतार किये जाने वाले पुलिस अधिकारी के संतुष्टि योग्य प्रत्येक की ओर से 10,000/–10,000/–रूपये का सक्षम जमानत एवं उतनी ही

BAIL PETITION/756/2026
CGRG010018792026

राशि का बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जावे –

शर्तें–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकरण के अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा अभियोग पत्र प्रस्तुति उपरांत प्रत्येक पेशी तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे ।

2. अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे ।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे ।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण बिना अनुमति के भारत की सीमाओं के बाहर नहीं जाएंगे ।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को एवं केस डायरी के साथ संलग्न कर संबंधित थाना को वापस कर पावती ली जावे ।

प्रकरण समाप्त । प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विधिवत अभिलेखागार प्रेषित किया जावे ।

सही/–

(देवेन्द्र साहू)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो)
रायगढ़ (छ०ग०)